

फर्द अहकाम

राजकल्याण बनाम लखनऊ नगर

आलय

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, उत्तर प्रदेश

दिनांक 26/07/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/6/23	<p>मह नगर (नगर नगरी) की ओर से 1500 रु। पुष्पेन्द्र शर्मा को जेरा किया। जमानत) मजदूरों के लिये 400 रु. के अन्तर्गत नगरीय मजदूरों के लिये को जारी किया जमानत) दिनांक 14/7/23 को जेरा है।</p>	
14/07/23	<p>उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिकृत सच द्वारा उपखण्ड/कार्य का अधिकार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/08/23 को पेश हुई।</p>	
4/8/23	<p>पत्रावली पेश हुई। 9 की ल 915/35 पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमानत दिनांक 20/10/23 को पेश है।</p>	
20/10/23	<p>उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिकृत सच द्वारा उपखण्ड/कार्य का अधिकार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/12/23 को पेश हुई।</p>	
27/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। 10 की ल 1000 रु. का कार्य के लिये पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमानत दिनांक 22/1/24 को पेश है।</p>	
22/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। 10 की ल 1000 रु. का कार्य के लिये पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमानत दिनांक 22/1/24 को पेश है।</p>	

फर्द अहकाम

रामकृष्ण वनाम बाबूलाल वर्मा

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगद जम्मुट

केस संख्या 76/2023

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि
		<p>तथा इन्तजाट किष्क लेखित 9 कीक वाडी क वाडी उपर कही । पत्रावली का मजफिकन किष्क गण । पत्रावली का अडक हाफरी क अडक फेकी प्र तादि किष्क पात है । पत्रावली फेसल शुभट देकर गमक किष्क के तथा वाड इति सादिल सेट के</p>	


उप खण्ड अधिकारी
जमवारा मगद

मजफिकन
 जमवारा मगद